सीताराम बनाम कमल सिंह

क स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	10/2022 आज्ञा विस्तृत रूप से	
	22/5/24	पत्रावली पेश [illegible] पी०ओ० साहब अन्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हो।	
	21/6/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य [illegible] कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/8/24 को पेश हो।	
	2/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/9/24 को पेश हो।	
	19/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वक्त अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर व कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
		उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Ks
19.1.22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2022

1 सीताराम चौधरी पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 राधाकिशन चौधरी पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

कमल सिंह चौधरी पुत्र श्री गोली सिंह चौधरी जाति जाट निवासी टी ए 320 अर्चना जैवलर्स मुहाना मण्डी के सामने जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि

1 यह कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद पत्र ठोस एवं सुदृढ आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसमे प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने कि पूरी पूरी सम्भावना है।

2 यह कि प्रार्थी सख्या एक की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 340 रकबा 0.3465 है0, खसरा न0 728/339 रकबा 0.0285 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3750 है0 व प्रार्थी सख्या दो की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 339/1 रकबा 0.0815 है0, खसरा न0 729/340 रकबा 0.1370 है0, खसरा न0 730/340 रकबा 0.1565 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3750 है0 वाके ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है।

3 यह कि प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के चारो ओर पुख्ता व तार बाउण्डरीवॉल बनी हुयी है। जिसमे प्रार्थीगण ने फसल व अन्ये पेड पौधे लगा रखे है व [illegible] उपभोग मे लेते आ रहा है।

सीताराम राधाकिशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:26:38 IST
Reason: SelfAttested